



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर- 342001

मउपस रकरयकीघनत / लोववण्यवउवेव-साईटरवकीघनतरकण्यतहधिवदम छवण 0291.26120865265635.7 धा 021.2612086

क्रमांक :- जो.वि.प्रा / पंजीयन / 21-22 / 1053

दिनांक : 29/10/21

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के लोक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियम, चतुर्थ संस्करण (प्रभावी दिनांक 01.07.1999) के भाग द्वितीय अनुसूची 16 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 2(4) वित्त/व्यय-3/99 दिनांक 24.05.1999 संसोधन दिनांक 19.03.11, 23.03.11, 01.11.2003 एवं 10.10.17 वर्णित ठेकेदारों के नवीनतम पंजीयन नियमों के अन्तर्गत मैसर्स विपुल इन्टरप्राइजेज, 12/210 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर का कार्यालय आदेश सं. 191-97 दिनांक 28.02.12 का पंजीयन "ए" श्रेणी में सिविल कार्य हेतु स्थायी पंजीयन क्रमांक 19 दिनांक 28.02.12 को जारी किया गया था।

अब मैसर्स विपुल इन्टरप्राइजेज का "ए" श्रेणी में स्थायी पंजीयन (A-19) का पुनरावलोकन निम्न शर्तों पर किया जाता है-

1. फर्म के संगठनात्मक/तकनीकी ढांचे एवं पते में किसी प्रकार के परिवर्तन से पूर्व इस कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य है।
2. फर्म को राज्य सरकार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी पंजीयन नियमों के अनुरूप अपना आचरण रखना होगा।
3. फर्म द्वारा अपने स्थायी पते/पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना तुरन्त इस विभाग को देनी होगी। रजिस्टर्ड पत्र उक्त स्थायी पते से वापस लौटा दिया जाता है तो संवेदक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
4. लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के पार्ट II परिशिष्ट 16 के नियम VII-2 एवं VIII-6 के तहत फर्म के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त "ए" श्रेणी में स्थायी पंजीयन (सिविल कार्य) आदेश का दो वर्षों की अवधि के लिये पुनरावलोकन (रिव्यू) किया जाता है।
5. दो वर्ष की अवधि में नियमानुसार फर्म के पंजीयन का पुनरावलोकन करवाना होगा। स्थायी पंजीयन का पुनरावलोकन न होने की स्थिति में पंजीयन स्वतः निरस्त माना जायेगा। पुनरावलोकन हेतु निर्धारित तिथि से एक माह पूर्व अथवा इससे पहले आवेदन करना होगा।
6. जेडीए द्वारा पत्राचार- ई-मेल पर किया जायेगा जो विधिमान्य होगा।

नोट:- उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर फर्म का पंजीयन स्वतः निरस्त माना जावे।


फर्म की ओर से पत्र व्यवहार, अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने व भुगतान लेने हेतु निम्न व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है, जिनके प्रमाणित हस्ताक्षर नीचे दिये जा

रहे हैं:-

क्र.सं.	फर्म का नाम	मैसर्स विपुल इन्टरप्राइजेज
1	i) पता-	12/210 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
	ii) ई-मेल	vipulenterprisesrc@gmail.com
	iii) फोन नं.	9414134110, 9414133960
2	फर्म/प्रोपराईटर का पेन नं.	ACYPC1271D
3	फर्म का GSTIN No.	08ACYPC1271D1ZO
4	पंजीकरण वर्ग व श्रेणी	सिविल "ए" (स्थायी) पुनरावलोकन दिनांक 28/10/23 तक
5	i) फर्म की प्रारिथति	प्रोपराईटरशिप
	ii) प्रोपराईटर/अधिकृत प्रतिनिधि	श्री छोटूराम चौधरी
6	पंजीयन सुरक्षा राशि	100000/- (FDR. No 6848043) ICICI Bank Date 27-02-12 100000/- (FDR. No 780715) The Bank of Rajasthan LTD. Date 30-11-2010 (Total = 2.00 Lac)


छोटूराम चौधरी
(प्रोपराईटर)
12/210 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड




निदेशक अभियांत्रिकी,
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक : एफ 33 () / पंजीयन / 21-22 /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. मुख्य लेखाधिकारी (प्रथम/द्वितीय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता (समस्त), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. मैसर्स विपुल इन्टरप्राइजेज, 12/210 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

दिनांक :-

11
निदेशक अभियांत्रिकी,
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर